न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, म०प्र०राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप सागर

R-3843-I/14

निगरानी प्र०क्र०

1- खुशी दुबे नाबालिग

द्वारा वली माँ गायत्री बाई पत्नि स्व० लक्ष्मीनारायण दुबे

गायत्री बाई पत्नि लक्ष्मीनारायण दुबे -- निगरानीकर्ता

दोनो नि० ग्राम भैंसा तह० जिला सागर म०प्र०

// विरूद्ध //

1- गुलाब बाई पत्नि मथुरा प्रसाद दुबे

2- लीलाधर वल्द मथुरा प्रसाद दुबे

3- प्रेम नारायण वल्द मथुरा प्रसाद दुबे

सभी, नि० मोतीनगर वार्ड सागर म०प्र० -- प्रति निगरानीकर्तागण

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू०रा० सं० अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय सागर द्वारा अपील प्र०क्र० 168अ/6/2011-12 मे पारित आदेश दिनांक . 29/8/14 के विरूद्ध

निगरानीकर्ता गण निम्नांकित निगरानी याचिका पेश करते है :-

1- यहकि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक एवं नकल प्राप्ति के तिथि से निगरानी याचिकासमय अवधि में है आदेश की मूल प्रति संलग्न है ।

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

2- यह कि निगरानीकर्ता गण द्वारा निगरानी कर्ता क्र०-1 के पिता एवं 2 के पति के नाम स्थित ग्राम भैंसा में ख०नं० 41/4 रकबा 30x40 का भवन एवं प्लाट को लक्ष्मी नारायण की मृत्यु के पश्चात निगरानीकर्ता गण द्वारा बिना किसी हक व अधिकार के नामांतरण करा लिया था जिसके विरूद्ध

//2//

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(16)

प्रकरण कमांक निग. 3843–एक/14 जिला – सागर

थान तथा नांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–12–14 सागर कैंप	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक जैन उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता के बिंदु पर सुना गया । 2– प्रकरण का अवलोकन किया एवं आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिए जाने संबंधी आवेदन निरस्त किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्रथमदृष्टया न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है अतः उसे इसी स्तर पर निरस्त करते हुए उन्हें यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे आवेदिका को एक अंतिम अवसर साक्ष्य प्रस्तुत करने का और तदुपरांत प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही विधिवत करें । उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । प्रशा0 सदस्य	